आप के नये मुसाफ़िर का इतिहास है शातिर

एक करोड़ के सदस्यता अभियान का लक्ष्य घोषित करने से 'आप' पार्टी का सिक्का तो जमा है पर नुकसान भी भरपूर हो रहा है। इस मुहिम के चलते बिना किसी छान-बीन के तरह-तरह के लाग़ों को 'आप' पार्टी की सदस्यता दी जा रही है। आम हरियाणवी में कहें तो कहावत चरितार्थ हो रही है कि, ''गाम बस्या नहीं मंगते पहले आण खड़े होय'' आई पी एस रणबीर शर्मा की भी यही कहानी है। भ्रष्टाचार और चौटालों की चाकरी के लिये जाना-माना हरियाणा का यह पुलिस अधिकारी अब 'आप' पर दांव लगा रहा है। इसकी फ़ितरत से पाठकों का परिचय कराने के क्रम में हम 'मज़दूर मोर्चा' की पुरानी फ़ाइलों से कुछ रपटें पेश करते रहेंगे। प्रस्तुत है पहली रपट जो इस अखबार के दिनांक 'सोमवार 11 सितंबर 2000' में प्रकाशित हुई थी।

-सम्पादक

'ईमानदार' एस.पी. ने 19 लाख की कोठी खरीदी

फ़रीदाबाद 10 सितंबर 2000 (म.मो.) दिन भर अपनी ईमानदारी का ढोल पीटने व इसके लिये खुद ही अपनी पीठ थपथपाने वाले एस.पी. रणबीर शर्मा ने एक ही झटके में 19 लाख की एक बनी बनाई कोठी खरीद ली है। इस संबंध में अपुष्ट खबरें करीब एक डेढ माह पूर्व मिलनी शुरू हो गयी थी। आरंभ में पता चला था कि सेक्टर-19 निवासी गौतम नामक आर्किटेक्ट उनकी 2 कोठियों का निमार्ण कार्य एक साथ करा रहे हैं, लेकिन दोनों ही कोठियां इस शहर से बाहर है।

गहन छानबीन के बाद पता लगा कि एस.पी. साहब ने तो करनाल शहर के सेक्टर-13 में प्लाट नं. 1172 पर बनी बनाई एक कोठी खरीद ली है। 580 वर्ग गज़ में बनी यह कोठी हूडा के एक अधिकारी वी.के. गुप्ता जो कि फ़िलहाल गुड़ागांव में रहते हैं कि पत्नी मीनाक्षी गुप्ता के नाम थी। कोठी की वास्तविक कीमत बेशक 19 लाख है लेकिन एस. पी. महोदय ने इसकी रजिष्ट्री मात्र 9 लाख में कराई है। यानी कि 9 लाख तो नम्बर एक में दिये तथा शेष 10 लाख नम्बर 2 में। वसीका नं.-2947 की इस रजिस्ट्री पर स्टैम्प लगाया गया है 139500 रुपये का। यदि ईमानदारी का ढोल पीटने वाले एस. पी. साहब यहां भी ईमानदारी दिखाते और पूरे 19 लाख की रजिस्ट्री कराते तो सरकार को स्टैम्प के रूप में प्राप्त होते करीब 3 लाख रुपये। एस.पी. साहब कह सकते हैं कि सभी लोग कम की रजिस्ट्री करा कर सरकार की स्टैम्प ड्यूटी चोरी करते हैं, उन्होंने कर ली तो क्या गया? बात तो ठीक है लेकिन सभी बेचारे ईमानदारी का ढोल तो नहीं पीटते।

20.7.2000 को करनाल तहसील में कराई गयी इस रजिस्ट्री पर खरीदार की जगह फोटो तो लगा है एस.पी. रणबीर सिंह शर्मा सुपुत्र श्री रामकिशन, जिसमें पता भी 'एस.पी. फ़रीदाबाद' का ही दिखाया गया है; लेकिन उनके खुद के हस्ताक्षर उस दस्तावेज पर कहीं भी नहीं है। नियमानुसार खरीदार का मौके पर हाजिर होना या उसके हस्ताक्षर होना कोई आवश्यक भी नहीं है। लिहाजा खरीदार (रणबीर शर्मा) की ओर से 'कृते' करके हस्ताक्षर किये उनकी धर्मपत्नी शगुफ़्ता ने।

19 लाख में खरीदी गयी इस कोठी का अभी जीर्णोद्धार कार्यक्रम चल रहा है। इसके लिये यदि सारा सामान बाजार से खरीदा जाय तो कुल खर्च 8 से 10 लाख तक का बैठता है, लेकिन आज भी यदि बाज़ार से खरीद कर ही सामान लगाया तो फ़िर फ़रीदाबाद जैसे उपजाऊ ज़िले का एस.पी. लगने का क्या लाभ? और वह भी 'ईमानदार' एस.पी.। सूत्रों के अनुसार सारा सामान बतौर फ्री 'कार सेवा' के फ़रीदाबाद से ही जा रहा है। काम की देखभाल के लिये वहां पर गुलाब सिंह नामक एक खास सिपाही को छोड़ा हुआ है। पानीपत ज़िले से संबंधित यह सिपाही रणबीर शर्मा के पास उस वक्त भी था जब वे फ़रीदाबाद से पूर्व चंडीगढ़ स्थित पुलिस मुख्यालय में तैनात थे।

जहां इतना बड़ा काम चल रहा हो वहां अकेले सिपाही पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, चाहे वह कितना ही भरोसेमंद क्यों न हो; लिहाज़ा एस.पी. साहब की पत्नी भी वहां देखभाल हेतु नियमित रूप से जाती रहती है। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार सप्ताह में कम से कम 3 बार वहां जाने के लिये पुलिस की सरकारी टाटा सूमो एच.आर.-51/3399 का दुरुपयोग किया जाता है, जिसे (सिपाही) ड्राइवर मुकेश चलाता है।

एक ओर तो चौटाला सरकार खर्चे घटाने के नाम पर मंत्रियों व उच्चाधिकारियों की बड़ी गाड़ियां छीन कर उन्हें छोटी कारों में चलने के लिये मजबूर कर रही है वहीं दूसरी ओर रणबीर शर्मा जैसे 'ईमानदार' एस.पी., सरकारी संसाधनों का जमकर दुरुपयोग कर रहे है। इतना ही नही एस.पी. की सुरक्षा के नाम पर एक जिप्सी नं. एच.आर.-51डी/6464 भी सदैव उनकी कार के पीछे दौड़ती रहती है। इस प्रकार तमाम संसाधनों की कमी के बावजूद एक एस. पी. की सेवा में कुल मिलाकर 3 वाहन रहते है और उन पर तैनात स्टाफ़ अलग से; यानी कि संसाधनों की कमी के बावजूद उनका खुला दुरुपयोग!

कोठी खरीदने को लेकर एस.पी. शर्मा अपनी सफ़ाई में कह सकते हैं कि उन्होंने इसके लिये सरकार से बाकायदा इजाजत लेने के साथ-साथ विभिन्न स्रोतों-भविष्य निधि या जीवन बीमा आदि से कर्ज लिया है। लेकिन ये कर्जे कभी दो नंबर में नहीं मिलते, सदैव एक नंबर में ही दिये लिये जाते हैं। इन कर्जों से रजिस्ट्री पर खर्चे 9 लाख तो कवर हो सकते हैं लेकिन सारे के सारे 19 लाख+ऊपर के 8-10 लाख नहीं।

ऊपर के रुपयों के लिये वे अपने वेतन में से की गयी बचत का सहारा ले सकते हैं। लेकिन यह सहारा भी रेत के घरौंदे जैसा ही होगा, क्योंकि इन्हें कट कटाकर मिलने वाले 25000 रुपये मासिक वेतन में से कम से कम 6000 रुपये मासिक की तो ये साहब सिगरेट ही पी जाते हैं। विदित है कि 48 रुपये प्रति पैकेट वाली क्लासिक सिगरेट के 4 से 5 पैकेट रोज़ाना इनके द्वारा फूंक दिये जाते है। अब क्योंकि ये 'ईमानदार' हैं इसलिये मानना पड़ेगा कि ये सिगरेट की तरह घर खर्च का सारा सामान भी बाज़ार से पूरे दाम देकर खरीदते होंगे। इतना ही नहीं इनके दो बच्चे मसूरी के उन महंगे स्कूलों में पढ़ते हैं जहां प्रति बच्चा वार्षिक खर्च कम से कम 60.000 आता है।

बच्चों के खर्च को छिपाने के लिये इस तरह के अधिकारी प्राय: इसे अपने रिश्तेदारों के खातों में चढ़ा देते हैं। परंतु कौन रिश्तेदार किस पर खर्च करता है यह सभी जानते हैं, यह तो केवल सरकार को धोखा देने का एक जाना माना तरीका मात्र है।

चिकित्सा सामग्री भंडार में बड़ा घोटाला

करनाल : जे के पी के : चिकित्सा सामग्री भण्डार पूरे भारतवर्ष में जीवन रक्षक दवाईयां प्रणाली में अहम भूमिका है । तथा देश भर में इसके 6 डिपो बनाये गये है । समूचे देश में जीवन रक्षक दवाओं के अलावा सैनिक अर्ध सैनिक व अन्य केन्द्रीय अस्पतालों की आपूर्ति इन सभी डिपो के ऊपर निर्भर है। जिसका केन्द्रीय बजट में एक खासा हिस्सा आता है। लेकिन लगभग 160 करोड़ बजट खर्च करने पर भी एक सफेद हाथी की तरह ही है। क्योंकि इस विभाग में कार्यरत कुछ अफसर व कर्मचारी मिलजुल कर पैसा लूट रहे है। करनाल सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार में कार्यरत श्री जगदीश चन्द्र सीनियर सीएमओ ने एक तरह से सरकारी मेडिकल स्टोर को अपनी निजी सम्पत्ति मान लिया है इसलिये इस विभाग में मनमाने कानून लागू किये जा रहे हैं। कर्मचारियों को डरा धमका कर गलत कार्यों में साथ देने को मजबूर किया जा रहा है जिससे कर्मचारी आतंक के साये में काम करने पर विवश हैं। यहां तक कि कुछ कर्मचारी जैसे श्रीमती रेनु बाला, श्रीमती निर्मल बुद्धिराजा, श्रीमती सुनीता धीमान जैसे कर्मठ कर्मचारियों ने तंग आकर स्वेच्छा से रिटायरमैन्ट ले ली है व कुछ अन्य रिटायरमैन्ट लेने का मन बना रहे हैं।

इसी तरह अब यहां पर बनी स्थानीय यूनियन ने तमाम घपलों की पोल खोलनी शुरू की तो यूनियन के प्रधान मंगल सिंह को निलम्बित कर दिया गया साथ ही डिपो में आने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही चेतावनी भी दी कि जब तक माफ़ी नहीं मांगोगे तब तक निर्लबित रहोगे। और कहा कि हम पैसा सरकार का खा रहे हैं तुम्हारे पेट में दर्द क्यों हो रहा है?

आश्चर्य की बात है कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा भी ऐसे भ्रष्ट लोग़ों को संरक्षण दिया जा रहा है नियमों की अवहेलना की जा रही है। तभी तो जगदीश चन्द्र सीएमओ पिछले लगभग 6 साल से इस डिपो में कार्यरत है जबकि (सैक्रेट्री हैल्थ) फ़ाईल नं. ए जैड-17025/2005 एस.टी.-1 पत्र दिनांक 30.5.2006 के मुताबिक कोई भी अफ़सर स्टोर विभाग में 5 साल से ज़्यादा काम नहीं कर सकता।

कर्मचारी यूनियन ने सभी घोटालों का पर्दाफ़ाश करते हुए इसकी शिकायत अपने पत्र क्रमांक एस.सी.एस. बी.-(के.एस.) 3-9 दिनांक 11.11. 2013 के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य मंत्री श्री गुलाम नबी आज़ाद को भेजी थी तथा सीएमओ जगदीश चन्द्र व चहेते कर्मचारियों श्री सुभाष गुप्ता भण्डार अधीक्षक व श्री दिलबाग सिंह उच्च श्रेणी लिपिक के साथ मिलकर किए गए घोटालों का संक्षेप में विवरण दिया। खानापूर्ति करने के लिये स्वास्थ्य मंत्रालय ने दो अधिकारी एम.ए. खान डॉ धर्मशत्रु डिप्टी डायरैक्टर को जांच के लिये करनाल भेजा। उनहोंने यूनियन के प्रधान व जनरल सैक्रेट्री को बुलाया व संक्षिप्त में सबूत पेश करने को कहा। यूनियन द्वारा सभी सबूत व दस्तावेज दिये गये व जांच अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अतिशीघ्र कार्यवाही की जायेगी लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई।

श्री सुभाष गुप्ता भण्डार अधीक्षक अपनी कारगुजारियों के चलते सीएमओ श्री जगदीश चन्द्र का चहेता बना हुआ है। पहले भी हरियाणा में शराबबंदी के दौरान अवैध शराब रखने व बेचने के आरोप में परिवार सहित जेल में रहा लेकिन सबूतों के अभाव में दो साल बाद रिहा हुआ। फ़िर 2013 में सीबीआई द्वारा रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ा गया जिसमें अब जमानत पर है। जिसमें सी.बी.आई ने लिखित में करनाल में नहीं लगाये जाने की सिफ़ारिश की ताकि रिकार्ड में हेराफेरी ना हो सके। लेकिन डंके की चोट पर फ़िर यही करनाल में नियुक्ति करवा ली ताकि गलत कार्यों को अंजाम दे सके। श्री सुभाष गुप्ता ने सी.एम.ओ. के साथ मिलकर अपने रिश्तेदारों का एक जाल विभाग के चारों ओर फैला रखा है। हालांकि चिकित्सा भण्डार में भण्डारण की काफ़ी क्षमता है लेकिन अपनी जान पहचान वालों को फ़ायदा पहुंचाने की नीयत से करनाल शहर से बाहर 12 किलोमीटर दूर नगला गांव में बिना लैन्टर के एक गोदाम किराये पर 2 लाख 42 हज़ार रुप्ये प्रतिमाह किराये पर ले रखा है जबकि करनाल शहर के पास उतना ही गोदाम 1 लाख 20 हज़ार रुपए प्रतिमाह किराये पर उपलब्ध है। इस प्रकार सरकार को प्रतिमाह 1 लाख 22 हज़ार रुपये का चूना लगाया जा रहा है। इस गोदाम में पूरी सुविधा ना होने के कारण 210 बाक्स ऐ.डी. सीरेंज कीमत लगभग 10-12 लाख है खराब हो गई है। पहले भी इसकी बदइंतजामी के कारण 2 करोड़ की वैक्सीन साल 2009-2010 में खराब हो गई थी।

एक अन्य गोदाम हिमालय कोल्ड स्टोर 85000/-रुपये प्रतिमाह किराये पर ले रखा है। जहां पर वैक्सीन रखी जा रही है। जानकारी अनुसार जहां पर वैक्सीन रखी जा रही है वहां पर सड़े गले फल व सब्जियां रखी हुई है जिससे वैक्सीन के खराब होने का अंदेशा है लेकिन रुप्या कमाने की होड़ में जान-माल से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। मांग होते हुए भी समय पर सप्लाई न करने से लगभग 10 लाख कीमत की ब्लड ग्लूकोस टैस्ट स्ट्रीप्ज खराब हो चुकी है।

सीएमओ ने कई वरिष्ठ कर्मचारियों को छोड़कर दिलबाग सिंह जिसका रिकार्ड पूर्ण रुप से दागदार है को पदोन्नत कर अति महत्वपूर्ण सीट पर नियुक्त कर दिया है जिसका जिम्मा तमाम तरह की खरीद करना व कानूनी मामलों को देखना व विभागीय नीतियां बनाना है। ताकि मामूली खरीद से बड़े टैन्डरों में घपलेबाज़ी होती रहे। दिलबाग सिंह को उसके लिये सुपर स्केल के अतिरिक्त 4 हज़ार महीने की बढ़ोतरी भी मिलती है। शिकायत में एक मामूली खरीद को एक रिम काग़ज जो बाज़ार में 200 रुपये में मिलता है (जिस पर रिटेल मूल्य 215 रुपये प्रिंट है) रुपये रिम के हिसाब से तथा 100 पेज का रजिस्टर जो 50 रुपये का होना चाहिए उसे 185 रुप्ये का बिल मधुबन स्टेशनरी मार्ट से बनवाया गया है। जिसे विभाग में कोई आपत्ति नहीं की। सूत्रों से आई जानकारी अनुसार मधुबन स्टेशनरी मार्ट को एनडीआरआई ने डिफाल्टर घोषित कर रखा है। साल भर में लाखों रुप्ये गोलमाल कर लिया गया। कई बार तो बिना बिल के ही बिल पास कर दिये गये। दिलबाग पर 1992 से ही रिकार्ड में हेराफेरी जालसाज़ी करने के आरोप लगते रहे हैं इसे विभाग ने सस्पैंड भी किया, दण्ड भी लगा तथा इसकी पदोन्नति बाधित की गई। लेकिन इस सीएमओ ने आते ही इसकी पदोन्नति कर दी इसकी सज़ा को माफ़ कर महत्वपूर्ण सीट पर नियुक्ति कर दोनों हाथों से लूटने का अधिकार दे दिया।

चिकित्सा भण्डार में लगी पुरानी कीमती ईमारती लकड़ियों को अधिकारी अपने बाप की सम्पत्ति समझकर उठाकर चोरी से ले गये। यूनियन द्वारा उजागर करने पर चोरी की एफ.आई.आर. पुलिस में दर्ज नहीं करवाई जा रही है। जब यूनियन प्रधान ने चोरी की रिपोर्ट लिखवाने की गुजारिश की तो यूनियन प्रधान मंगल सिंह को निलंबित कर दिया गया।

नियमानुसार सीएमओ श्री जगदीश चन्द्र करनाल में तैनात होने पर मकान किराया भत्ता मूल वेतन का 10 प्रतिशत ले सकता है। लेकिन जगदीश चन्द्र सीएमओ गलत जानकारी के आधार पर 30 प्रतिशत मकान किराया भत्ता ले रहा है। जिससे 5 साल में भारत सरकार को 9 लाख 75 हज़ार रुप्ये का चुना लगा चुका है। सीएमओ श्री जगदीश चन्द्र सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार करनाल व स्वास्थ्य मत्रालय भारत सरकार द्वारा आर.टी.आई. एक्ट-2005 का उल्लंघन किया जा रहा है। कर्मचारी यूनियन ने फीस जमा करवा कर आर.टी.आई. एक्ट 2005 के अनुसार जानकारी मांगी थी जो कि नहीं दी जा रही है। उपरोक्त भ्रष्टाचार के खिलाफ़ कर्मचारी यूनियन ने मांग रखते हुए निर्णय लिया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार श्री जगदीश चन्द्र सीएमओ की जांच समयबद्ध तरीके से कराये व इसका जल्द स्थानानांतरण किया जाये वरना कर्मचारियों ने मार्च 2014 में निर्माण भवन नई दिल्ली पर अपनी मांगों के समर्थन में धरना देने का निर्णय लिया है।

हत्या में दो बेगुनाह जेल में: सैशन जज ने सी पी से रिपोर्ट मांगी

फ़रीदाबाद (म. मो.) 'मज़दूर मोर्चा' के 1-15 जनवरी अंक में 'हत्यारे आजाद, निर्दोष जेल में बन्द और बर्बाद' शीर्षक से प्रकाशित मुख्य खबर का संज्ञान लेते हुए ज़िला एवं सत्र न्यायाधीश दर्शन सिंह ने पुलिस कमिश्नर (सी पी) से 15 फ़रवरी तक रिपोर्ट मांगी है। खबर में बताया गया था कि सेक्टर 21 ए की एक कोठी में हुई हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 बेगुनाह दिहाड़ीदार मज़दूरों को 27.4.12 को गिरफ़्तार कर जेल भेज दिया था। लेकिन कुछ माह बाद उसी कोठी से उसी (हत्या वाले) दिन हुई डेढ-दो करोड़ की चोरी का मुकदमा दर्ज करके जब असली अपराधियों को पकड़ लिया तो चोरों ने भेद खोला कि हत्या भी उन्होंने ही की थी। इसके बावजूद हत्या का आरोप भुगत रहे बेगुनाहों को आपराधिक न्याय व्यवस्था से कोई राहत नहीं मिली। पुलिस लगातार उन्हें सज़ा दिलाने की ओर ही धकेलती रही।

पहली जनवरी को प्रकाशित उक्त समाचार के माध्यम से सारी सच्चाई सामने आने के बावजूद बेरहम पुलिस एवं न्याय-व्यवस्था के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। दिनांक 8 जनवरी को इस संवाददाता ने जब राज्य के पुलिस प्रमुख श्रीनिवास वशिष्ठ से इस बाबत जानना चाहा तो वे सारे मामले से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। 'मज़दूर मोर्चा' की प्रति मांगने पर उन्हें बताया गया कि अपने इंटरनेट पर मज़दूर मोर्चा साइट देखें, जो उन्होंने देख भी ली। लेकिन इसके बावजूद भी ढाक के वही तीन पात। दरअसल यह पुलिस महकमे की 'इज्जत' व भाइचारे का सवाल जो ठहरा; इसमें चुप रहना व मामले को दबाये रखना ही बेहतर समझा जाता है।

हां एन आई टी के ए सी पी राठी को जरूर धंधा मिल गया। अखबार की इस खबर को लेकर एस एच ओ व अन्य अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की अपेक्षा उसने शिकायतकर्ता प्रमोद गुप्ता को आये दिन बुलाना व धमकाना शुरू कर दिया। जबकि तत्कालीन सी पी कपूर की सहमति से लिखाई गई एफ आई आर के बाद गुप्ता की इस मुकदमें में कोई भूमिका नहीं रह गई थी। जाहिर है गुप्ता को बार-बार बुलाकर राठी कुछ न कुछ निचोड़ने की फ़िराक में होगा।

उधर सैशन कोर्ट में 14 जनवरी को दोनों बेगुनाह पेशी पर आये थे। मुकदमे की कार्यवाही अन्तिम बहस पर पहुंच चुकी थी। बहस शुरू होने से पूर्व मानवाधिकार मोर्चे पर सक्रिय शिवकुमार जोशी वकील ने सैशन जज साहब के सामने 'मज़दूर मोर्चा' रखते हुए कहा कि वे तो बेगुनाहों पर चल रहे मुकदमे की कार्यवाही देखने आये हैं। जज साहब ने मुकदमा छोड़कर अखबार पढना शुरू कर दिया। पूरी खबर पढकर जज साहब ने जोशी जी से कहा कि वे इस पर एक दरखास्त लगा दें। जोशी ने कहा कि वे कैसे और क्यों लगा दें, जज साहब स्वत: क्यों नहीं संज्ञान लेकर सी पी से रिपोर्ट मांगते। जज साहब ने इससे इंकार करते हुए जोशी को अखबार लौटा दिया। तभी आरोपियों के वकील विनीत बजाज भी आ पहुंचे तो जज साहब ने उन्हें अखबारी खबर के बारे में बताया, (जिसके बाबत बजाज को पहले से ही मालूम था)। बजाज की पहली प्रतिक्रिया थी कि अखबार वाला तो दूसरी पार्टी से मिला हुआ है, जो उनके मुअक्किलों के जल्दी बरी होने में रोड़े अटका रहा है। बजाज ने जोशी से भी कहा कि पहले इनको बरी हो लेने देते फ़िर बाद में पुलिस के विरुद्ध केस डाल देते तो ठीक रहता। इस पर जोशी ने कहा कि कुत्ते के जबड़ों से छूटा खरगोश कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखता, वह जान बचाकर भागता है।

कायदे से तो सैशन जज को इस प्रकाशित खबर का तुरन्त संज्ञान लेकर सी पी से रिपोर्ट तलब करनी चाहिये थी। लेकिन उन्होंने संज्ञान लिया पूरे 10 दिन बाद यानी 24 जनवरी को, जब जोशी ने वह अखबार उनके कार्यालय अधीक्षक के यहां दर्ज करवा दिया। यह 24 को केस पुन: पुटअप होने पर फ़िर सामने आ गया। अब इसे बरतरफ़ करना कानून के लिये असंभव था, लिहाजा सी पी से जांच रिपोर्ट मांगनी पड़ी।

देखें सी पी की ओर से कोई ठोस कार्यवाही होती है या नहीं। अन्यथा न्याय की इस लीपा पोती में दो बेगुनाह तो जेल में सड़ ही रहे हैं।